सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

कोटा ....**विश्वविद्यालय,**
...................................**University,**
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2021 /
दिनांक : अगस्त, 2021

आदेश

डॉ. (श्रीमती) नीलिमा सिंह को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.32(3)आरबी / 2017 / 6452 दिनांक 06.08.2018 द्वारा कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित 2013) की धारा 11(3) व 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया था। डॉ. सिंह द्वारा दिनांक 10.08.2018 को मध्याह्न पूर्व कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। डॉ. सिंह की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 09.08.2021 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. आर. ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2021 / 3504 दिनांक : 06 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. (श्रीमती) नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. प्रो. आर. ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,।

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान